


न्यायालय श्रीमान अ.व.म.म.हो.द.य. , राजस्व मण्डल ग्वालियर ॥०१०॥  
सर्चिंट कोर्ट रीव्यू ५०१०



Reestr 1000 - 5114

28  
13-2-14

दिनेन्द्र द्विवेदी पिता श्री रघुवर प्रसाद द्विवेदी उम्र 42 वर्ष, पेशा छेती नि  
हनुमानगढ़, तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी ५०१० --- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

- श्रीमान रामवती पत्नी रामकृपाल जायसवाल उम्र 60 वर्ष,  
2. रामनिवासी उम्र 40 वर्ष, श्री सश्री के पिता रामगोपाल जायसवाल निवासी  
3. बिरबल उम्र 25 साल, श्री ग्राम हनुमानगढ़ तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी  
4. रामवली उम्र 20 वर्ष, श्री ५०१० --- अनावेदकगण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नाथ  
तहसीलदार पितृ हनुमानगढ़ तहसील रामपुर नैकिन के  
राजस्व प्रकरण क्र० 42अ27/11-12 आदेश दिनांक  
28/11/2012

आवेदन पत्र अन्तर्गत जु 5/13/११ ५०१० भू-राजस्वसंहिता  
अदमपैरवी में आरिज प्रकरण को पुनः नम्बर पर  
लिये जाने बावत् दि. 12/8/2013

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है :-

१। यह कि उपरोक्त उन्मान प्रकरण से सम्बन्धित निगरानी आवेदक द्वारा  
मान्य न्यायालय के समक्ष दाखर की गई थी और उक्त निगरानी श्रीमान्जी  
द्वारा पंजीकृत की गई थी। और अनामतथा रिकार्ड की तलवी हेतु दि. 12. व  
14-8-2013 को सुनवाई हेतु नियत थी। परन्तु किन्ही कारणों वश उक्त  
प्रकरण को दि. 12/8/2013 को अदमपैरवी में निरस्त कर दिया गया और  
प्रकरण की सुनवाई नहीं की गई जबकि आवेदक अधिवक्ता उक्त तारीख को  
हाजिर था और आदेश हेतु कहा गया था तब से लेकर आज तक प्रकरण की  
सुनवाई नहीं हुई। अधिवक्ता करता रहा कल दिनांक 12/2/2014 को जब  
श्रीमान् जी के कर्मचारी रीवा आये तो प्रकरण का पता किया तो बोलें की  
2662 में प्रकरण अदमपैरवी में निरस्त कर दिया गया है डी. डी. लिखा गया है।  
और प्रकरण ग्वालियर में है। इसवजह से उक्त प्रकरण को ग्वालियर से मंगवा  
कर सुनवाई हेतु नम्बर में लेते हुए सुनवाई किया जाना उचित व न्यायसंगत है।  
अतः आवेदक को न्याय मिलने के अन्तर्गत आवेदक न्याय से वंचित ही जायेगा।  
दिनांक: - 12/2/2014

ता. 13-3-14

44

दिनेन्द्र द्विवेदी  
रावेन्द्र तिवारी प्र० १ रीवा ५०१०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

शेखरे प्रकरण क्रमांक..... 1002/11/14..... जिला ... सीधी .....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-9-15	<p>प्रकरण में आवेदक आर्मी उपस्थित। आर्मी 405 आर्मी का आवेदन पत्र प्रकरण को च्यापलय द्वारा अर्जा गैर कास्ट को वापिस चारहे 68 शेखे. प्रकरण को समाप्त करके का निवेदन किया गया।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसे ज्ञात गया कि मूल प्रकरण 1662/11/13 अर्जा में ही निवेदन किया गया था जिसे पुनर्स्थापित करके का आवेदन पर प्रकरण विचारणीय था जिसे वापिस लेने एवं इसी तल पर समाप्त करके का निवेदन किया गया। प्रकरण में कास्ट पुनर्स्थापित करके देह अर्जा भी। प्रकरण लेखा से आवेदक का वापिस लिया जा रहा है इसी दया अर्जा कास्ट वापिस करके का प्रावधान न होने से कास्ट वापिस करके का निवेदन आवेदक को किया जाता है तथा प्रकरण को पुनर्स्थापित न करके का निवेदन आवेदक को किया जाता है। प्रकरण उक्त आदेश के साथ इसी तल पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार अर्जा है।</p>	<p>(हस्ताक्षर)</p>